

वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक(नाम से),
इलाहाबाद/प्रतापगढ़/फतेहपुर/कौशाम्बी।

कृपया आपको सम्बोधित पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के परिपत्र संख्या 63/2016 दिनांक 06.11.16 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें जो अपराधियों में गिरफ्तार अभियुक्तों के फिंगरप्रिन्ट के नमूने लिये जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश सम्बन्धी है।

संलग्न परिपत्र में विस्तार से अंकित है कि अपराध के अनावरण एवं अपराधियों को दिलाने में अंगुली छाप की महत्वपूर्ण भूमिका है। जनपद स्तर पर मिथ्या भ्रांति है कि मात्र सजायावी में ही या मा0न्यायालय के आदेश के उपरान्त ही अपराध में अंगुली छाप लिया जा सकता है। बन्दियों की पहचान का अधिनियम 1920 एवं अंगुली तथा पदछाप नियम संग्रह 1977 में संदेह के आधार पर गिरफ्तार और निवास स्थान तथा पूर्व अपराधिक वृत्तान्त ज्ञात न होना एवं जिन पर एक वर्ष या उससे अधिक की सजायावी का मुकदमा चल रहा हो, ऐसे अपराधियों की पहचान स्थापित करने हेतु उनकी अंगुली छाप तैयार कर अंगुली चिन्ह ब्यूरो लखनऊ भेजी जानी चाहिए, जिससे अनजान व्यक्ति की पहचान तथा पूर्व सजायावी की स्थिति में भा0द0वि0 की धारा 75 के अन्तर्गत अधिक दण्ड से दण्डित कराने की स्थिति बनेगी।

बन्दियों की पहचान का अधिनियम 1920 तथा अंगुली तथा पदछाप नियम संग्रह 1977 के पैरा 32 में वर्णित अपराधों के दण्डित अपराधियों की रिकार्डपत्री अभियोजन शाखा के प्रवीण(Proficient) द्वारा 3 प्रतियों में तैयार कर अंगुली चिन्ह ब्यूरो लखनऊ भेजी जानी चाहिए।

संलग्न परिपत्र का सावधानी से स्वयं अवलोकन करते हुए अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को परिपत्र एवं संलग्नकों की छायाप्रतियाँ उपलब्ध कराते हुए अपराध गोष्ठी तथा अन्य माध्यमों से अवगत कराते हुए जगरूक बनायें। अपराधियों की पहचान अथवा अधिक सजायावी के उद्देश्य से फिंगर प्रिन्ट का भरपूर उपयोग करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(विजय यादव)

पुलिस उपमहानिरीक्षक,
इलाहाबाद परिक्षेत्र, इलाहाबाद।

संख्या: सीओए/एसी-2-परिपत्र-63/2016/4757
दिनांक: इलाहाबाद, नवम्बर 10, 2016

प्रतिलिपि: वाचक प्रभारी, परिक्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद को एक प्रति संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक: यथोपरि

NR = 404

जावीद अहमद,
आई०पी०एस०



डीजीपरिपत्र संख्या-63/2016
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।

1. तिलक मार्ग, लखनऊ।
दिनांक: लखनऊ नवम्बर 6, 2016

विषय :- अपराधों में गिरफ्तार अभियुक्तों के फिंगरप्रिन्ट के नमूने लिए जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय,

आप अवगत है कि अपराधों के अनावरण एवं अपराधियों को सजा दिलाने में अंगुलि छाप (Finger Print) की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यालय स्तर पर समीक्षा से यह अनुभव किया गया कि जनपद स्तर पर अंगुलि छाप की उपयोगिता एवं प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस कारण से अपराधियों के विरुद्ध महत्वपूर्ण साक्ष्य विवेचना में सम्मिलित नहीं हो पाने से उनको लाभ प्राप्त हो रहा है तथा कई महत्वपूर्ण घटनाओं के अनावरण में देर लग रही है। अतः आपसे अपेक्षा करते हैं कि जनपद स्तर पर अंगुलि छाप लिये जाने की कार्यवाही के सम्बन्ध में विशेष ध्यान दिया जाए। जनपद स्तर पर एक यह भी धारणा है कि मात्र सजायाबी अपराधियों का ही अंगुलि छाप लिया जा सकता है या माननीय न्यायालय के आदेश के उपरान्त ही अंगुलि छाप लिये जा सकते हैं, यह धारणा सही नहीं है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि बन्धियों की पहचान का अधिनियम 1920 की धारा 4 के अन्तर्गत अंगुलि तथा पदछाप नियम संग्रह के पैरा 26 के अनुसार ऐसे सभी व्यक्ति, जिनको संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया हो और उनका निवास स्थान तथा पूर्व अपराधिकवृत्त ज्ञात न हो अथवा जिन पर फौजदारी का मुकदमा चल रहा हो, जो एक वर्ष या उससे अधिक की सजा से दण्डनीय हो, उनकी पहचान स्थापित करने हेतु उनके अंगुलिछाप तैयार कर अंगुलि चिन्ह ब्यूरो लखनऊ भेजी जानी चाहिए, जिससे यदि उपरोक्त व्यक्ति को पूर्व में कोई सजा मिल चुकी हो, तो मिलान होने की दशा में उस अनजान व्यक्ति की पहचान स्थापित हो जायेगी तथा साथ ही साथ उस अपराधी को पूर्व में मिली सजा की जानकारी मिलेगी, जो भादवि की धारा 75 के अन्तर्गत अधिक दण्ड से दण्डित कराने में सहायक होगी।

इसके अतिरिक्त बन्धियों की पहचान का अधिनियम 1920 की धारा 3 व अंगुलि तथा पदछाप नियम संग्रह 1977 के पैरा 32 में वर्णित अपराधों के अन्तर्गत दण्डित अपराधियों की रिकार्ड पत्री जनपदों के अभियोजन शाखा में नियुक्त प्रवीण (Proficient) द्वारा 03 प्रतिियों में तैयार कर अंगुलि चिन्ह ब्यूरो लखनऊ भेजी जानी चाहिए। इसी प्रकार अंगुलि तथा पदछाप नियम संग्रह 1977 के पैरा 32ख के अन्तर्गत वर्णित अपराध से दण्डित अपराधियों की भी अंगुलि चिन्ह पर्चियां तैयार कर उन पर लाल स्याही से "एक अंकीय" अंकित कर अंगुलि चिन्ह ब्यूरो में रिकार्ड हेतु भेजी जानी चाहिए।

इसी प्रकार दण्ड प्रक्रिया संहिता के धारा 157 के अन्तर्गत अपराधिक घटनास्थल पर विवेचक के निर्देशन में जनपद में नियुक्त फील्ड यूनिट की सहायता से चांस अंगुलि चिन्ह लेकर जांच हेतु अंगुलि चिन्ह ब्यूरो लखनऊ भेजे जाने चाहिए। यदि विवेचक या जांचकर्ता को ऐसा संदेह हो कि घटना किसी अन्तर्राज्यीय अपराधी द्वारा कारित की गयी है या अपराधी का सम्बन्ध किसी अन्तर्राज्यीय गिरोह से हो सकता है, तो सम्बन्धित राज्यों के अंगुलि चिन्ह ब्यूरो को भी ऐसे अंगुलि चिन्ह जांच के लिए भेजे जाने चाहिए। यदि विवेचना के मध्य विवेचक/जांचकर्ता द्वारा घटना से सम्बन्धित अपराधियों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है तो अंगुलि तथा पदछाप नियम संग्रह के पैरा 26 के अनुसार कार्यवाही करते हुए उनकी अंगुलि छाप तैयार कर घटनास्थल से प्राप्त चांस अंगुलि चिन्हों के साथ अंगुलि चिन्ह ब्यूरो, लखनऊ में परीक्षण हेतु भेजा जाना चाहिए।

सुनील राव

मुझे आशा है कि आप इस पूरी प्रक्रिया को समझ कर अपने अधीनस्थों को भी इसे समझायेंगे तथा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे, जिससे कि अपराधियों को दण्डित करने में सहायता मिले और अभियोजन की दर में बढ़ोत्तरी हो। कृपया अपने जनपद में नियुक्त प्रवीणों की समीक्षा कर ले, यदि रिक्तियां हो तो अपने पुलिस महानिरीक्षक, जोन के माध्यम से अवगत कराएं।

इस सम्बन्ध में आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि निम्न प्रारूप में सूचना अपने पुलिस महानिरीक्षक, जोन को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में प्रेषित करें।

प्रारूप सं० 01

मा० न्यायालयों द्वारा कितने वादों में सजा सुनाई गई।	मा० न्यायालयों द्वारा कितने अभियुक्तों के विरुद्ध सजा सुनाई गई।	सजा पाए कितने अभियुक्तों की रिकार्ड स्लिप फिंगर प्रिंट ब्यूरो भेजी गई।	शेष अभियुक्तों की संख्या, जिनकी स्लिप नहीं की गई।
1	2	3	4

प्रारूप सं० 02

जनपद में पंजीकृत विशेष अपराधों की संख्या	अज्ञात अभियुक्तों की संख्या, जिनके अंगुलिछाप मिलान हेतु फिंगर प्रिंट ब्यूरो भेजी गई।	घटनास्थल से कितने चांस प्रिन्ट लिये गए	कितने संदिग्ध व्यक्तियों के फिंगर प्रिंट मिलान हेतु फिंगर प्रिंट ब्यूरो भेजे गए।
1	2	3	4

संलग्नक: उल्लिखित धाराओं के उद्धरण

प्रपदीय
6.11.16
(जाहीद अहमद)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,

प्रमारी जनपद,

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ०प्र०, लखनऊ।
2. पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सहाय्य, उ०प्र०, लखनऊ।
3. पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ०प्र०, लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था, उ०प्र०, लखनऊ।
5. पुलिस महानिरीक्षक, एस०टी०एफ०/ए०टी०एस०, उ०प्र०, लखनऊ।
6. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ०प्र० को इस अनुरोध के साथ कि प्रवीणों की रिक्तियों को सूचना जनपदों से संकलित कर इस मुख्यालय को दिनांक: 15-11-2016 तक उपलब्ध कराएं एवं जनपदों का भ्रमण के समय उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करने का कष्ट करें। आपसे यह भी अपेक्षा है कि प्रतिमाह प्राप्त होने वाली उपरोक्त सूचना का अनुश्रवण कर उसमें आवश्यक कार्यवाही करेंगे, जिससे अधिक से अधिक अभियोगों के सफल अनावरण व अभियोजन में अंगुलि चिन्ह का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा किया जा सके एवं संकलित सूचना प्रतिमाह निदेशक, फिंगर प्रिंट ब्यूरो को उपलब्ध कराएंगे।
7. निदेशक, फिंगर प्रिंट ब्यूरो सनस्त जोन से प्रतिमाह प्राप्त सूचना की समीक्षा कर वाई जा रही कमियों के सम्बन्ध में जोनवार समीक्षात्मक नोट प्रतिमाह अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे।

210 Q. No. 10/210 Fax No. 10
3. 10/210 Q. No. 10/210 Fax No. 10
को अपने स्वयं के नकार के लिए
D. K. Pant

(2)

उत्तर प्रदेश
अंगुली तथा पद-छाप नियम संग्रह

1977

२६--सभी "अज्ञान" व्यक्तियों, जिन्हें सज़ा में गिरफ्तार किया जाय या जिन पर कौजदारी का अभियोग चल रहा हो, के अंगुली-छाप लिये जायेंगे तथा किन व्यक्तियों के अन्वेषण के लिये प्रस्तुत किये जायेंगे। इस प्रयोजन के लिये अंगुली-छाप करने-हिरासत में लिखा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, जिसके निवास-स्थान तथा पूर्ववृत्त का पुलिस अनुसंधान से ठीक-ठीक पता नहीं प्य के लिये, लिखे जाने चाहिये चल सका, 'अज्ञान' माना जायगा।

उन व्यक्तियों के जो ऐसे अपराधों में गिरफ्तार किये जायें जिनमें एक या एक से अधिक वर्ष की कड़ी सज़ा का दंड दिया जा सके, अंगुली छाप लेने का अधिकार पुलिस को है, परन्तु अन्य मामलों में किसी मैजिस्ट्रेट की आज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य है। Identification of Prisoners Act (१९२० का ३३वां अधिनियम) का पैरा ३२ भी देखें।

३२—(क) राज्य तथा केन्द्रीय अंगुली-छाप ब्यूरो दस अंकीय अभिलेख। - निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को चाहे वे बालक हों या युवा, स्त्री हों वे व्यक्ति जिन्हें अंगुली-छाप दस अंकीय तथा एक अंकीय अभिलेख के लिये लेने चाहिये या पुरुष या नपुंसक, अंगुली-छाप पंचियां, राज्य व केन्द्रीय अंगुली-छाप ब्यूरो में दस अंकीय स्थायी अभिलेख के लिए ले जायगी।

(१) भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code)—

अध्याय ५ (V) सभी व्यक्ति जिन्हें धारा १०६ व ११४ के अन्तर्गत इस पैराग्राफ में वर्णित अपराधों के लिए दण्ड दिया गया हो।

अध्याय ५-क (V-A) धारा १२०-ख के अन्तर्गत इस पैराग्राफ में लिखित अपराधों के सम्बन्ध में दण्डनीय षड्यन्त्र के लिए।

अध्याय ६ (VI) धारा १२१ से १३२ तक।

अध्याय ६ (IX) धारा १७०।

अध्याय १२ (XII) धारा २३१ से २६३ तक।

अध्याय १६ (XVI) धारा ३०२, ३०४, ३०७, ३०८, ३११, ३२५, ३२६, ३२७, ३२८, ३२९, ३३२, ३३३, ३३८, ३६३ से ३७३।

अध्याय १७ (XVII) धारा ३७६ से ४२५ तक, ४२७ से ४४० तक और ४४८ से ४६२ तक।

अध्याय १८ (XVIII) धारा ४६५ से ४७७-क तक, ४८६-क, ४८६-ख, ४८६-ग तथा ४८६-घ।

अध्याय २३ (XXIII) सभी व्यक्ति जिन्हें इस पैराग्राफ में वर्णित सभी अपराधों के प्रयत्न के लिए धारा ५११ में दण्ड दिया गया हो।

अध्याय ५-क तथा १७ (V-A तथा XVII) गिरोहबन्दी, डकैती तथा दण्डनीय तथा षड्यन्त्र के मामलों के सूत्रबिर (approvers)।

(२) दंड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code)—
ऐसे सभी व्यक्ति जिन्हें धारा १०६ और ११० के अन्तर्गत बंध-पत्र भरने के आदेश दिए गए हों।

(३) ऐसे सभी व्यक्ति जिन पर हथियार, अफीम, घातक औषधियाँ या शराब के अवैध व्यापारों या तस्क़र (Smugglers) व्यापारों होने का संदेह हो, और जिन्होंने—

आर्म्स ऐक्ट—धारा १६ व २०

ओपियम ऐक्ट—धारा ६

इंडियन ड्रग्स ऐक्ट—धारा १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७ और १८ ।

एक्ससाइज ऐक्ट—धारा ६० ।

में सजा पाई हो ।

(४) इंडियन रेलवे ऐक्ट, १८६० की ऐक्ट सं० ६—ऐसे सभी व्यक्ति जिन्हें धारा १०१, १२६ और १२८ के अन्तर्गत बंद दिया गया हो ।

(५) टेलीग्राफ वायर्स (अनलाफुल फ़ेजेशन) ऐक्ट (१८५० की ऐक्ट संख्या ७६)—सभी व्यक्ति जिन्हें धारा ५ के अन्तर्गत बंद दिया गया हो ।

(६) रि रेलवे प्रावर्ती (अनलाफुल फ़ेजेशन) ऐक्ट (१८६६ की ऐक्ट सं० २६)—इस अधिनियम के अन्तर्गत सिद्धबोध समस्त व्यक्ति ।

(७) आफिशियल सिक्रेट ऐक्ट (१८२२ की ऐक्ट सं० १६)—धारा ३, ५, ६, ७, ८, ९ और १० में उद्धृत सभी व्यक्ति ।

(८) एक्सप्लोसिव सबस्टेंसेज ऐक्ट (Explosive Substances Act) (१८०८ की ऐक्ट संख्या ६)—धारा ३, ४, ५ और ६ में उद्धृत सभी व्यक्ति ।

(९) फ़ारेनर्स ऐक्ट (Foreigners Act) (१८४६ की ऐक्ट संख्या ३१)—ऐसे सभी विदेशी, जिनको धारा १४ के अन्तर्गत बंद दिया गया है या धारा ३ के अन्तर्गत देश से बाहर चले जाने की आज्ञा दी गई हो ।

(१०) फ़ारेन एक्सचेंज रेगुलेशन ऐक्ट (Foreign Exchange Regulations Act) (१८४७ की ऐक्ट संख्या ७)—ऐसे सभी व्यक्ति जिनको धारा २३ के अन्तर्गत बंद दिया गया हो ।

(११) ऐसे सभी पेशेवर (Professionals) अपराधी तथा वे व्यक्ति जिनका आचरण खतरनाक हो तथा जिन्हें किसी भी राज्य के कानून के अन्तर्गत किसी क्षेत्र से बाहर रहने की आज्ञा दी गई हो ।

(१२) ऐसे सभी व्यक्ति जिनको तोड़-फोड़ या राज्य के विरुद्ध विध्वंसक कार्यवाही के लिए दंड दिया गया हो।

(१३) ऐसे सभी व्यक्ति जिन पर पेशेवर भ्रमणशील अपराधी (professional itinerant criminals) होने का सन्देह हो और जो कुख्यात अपराधी हों तथा जो अपने घर से अनुपस्थित रहने के अभ्यस्ती हों तथा जिनके विषय में यह धारणा हो कि वे अपराध करने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं तथा जो गिरफ्तार किये जा चुके हों अथवा जिनके अंगुली-छाप ले लिये गये हैं, भले ही वे छोड़ दिये गये हों। परन्तु दंड से मुक्ति को दशा में उनके अंगुली-छाप का अभिलेख रखने के लिये व्यापारिक से आइडेंटिफिकेशन आफ प्रिजनर्स ऐक्ट (Identification of Prisoner Act) (१९२० की ऐक्ट संख्या ३३) की धारा ७ के अन्तर्गत अनुमति ले ली गई हो।

(१४) ऐसे सभी दंडित व्यक्ति जो ऊपर लिखी श्रेणियों में तो नहीं आते परन्तु जिनका स्थायी अभिलेख रखा जा उनीच समझा जाता है। उन हवालातियों के, जिन पर ऐसे अपराधों के लिये मुकदमें चल रहे हैं। जिसमें एक वर्ष से कम की कड़ी सजा दी जा सकती है, अंगुली-छाप लेने के विषय में अनुसंधान या मुकदमों के समय ही यह निश्चय कर लेना चाहिये और मैजिस्ट्रेट की अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिये क्योंकि उनको सजा देने या छोड़ देने के पश्चात्, अंगुली-छाप लेने का अधिकार नहीं है। (धारा ५, आइडेंटिफिकेशन आफ प्रिजनर्स ऐक्ट)।

(१५) किसी भी व्यक्ति जिसके अंगुली-छाप रखने का आदेश भारत सरकार या राज्य सरकार आइडेंटिफिकेशन आफ प्रिजनर्स ऐक्ट (१९२० की ऐक्ट संख्या ३३) के अर्धीन समय-समय पर दिये हों।

(१६) उन सभी व्यक्तियों के जिनको किसी दूसरे राज्य में सजा दी गई, जिनका निवास इस राज्य में बताया जाता है, भले ही उसका स्थापन न हुआ हो, इस शर्त के साथ कि उनके अंगुली-छाप १९२० के ऐक्ट संख्या ३३ (Identification of Prisoners Act) के अनुसार लिये गये हों तथा जहाँ उक्त ऐक्ट (अधिनियम) की धारा ७ के अन्तर्गत अंगुली-छापों के रखने के लिये मैजिस्ट्रेट को आज्ञा लेना आवश्यक है, ले ली गई हो।

(१७) ऐसे सभी व्यक्ति जिनको किसी भी कानून के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में तलाश है जिनके नाम अभिलेख पर नहीं है तथा जिनके अंगुली-छाप उपलब्ध हैं।

(१८) राज्य ब्यूरो केन्द्रीय अंगुली-छाप ब्यूरो को अंगुली-छाप पर्चों की प्रतिक्रिया भेजेगी।

(१) ऐसे सभी भारतीय भागरिक जिनको भारत के बाहर किसी भी अपराध में बंड दिया गया हो जिसके कारण उनके अंगुली-छाप उन देशों के ब्यूरो से प्राप्त हुए हों।

(२) ऐसे सभी अन्तर्राष्ट्रीय अपराधी तथा फरार व्यक्ति (International criminals and absconders) जिनके अंगुली-छाप भारत के बाहर के देशों से ब्यूरो में प्राप्त हुए हों।

(ख) आगरा, इलाहाबाद, बरेली, फैजाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुशादाबाद और वाराणसी के ग्यारह जिलों के लिये, जहाँ फील्ड यूनिटें स्थित हैं, भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ ३८०, ४५४, ४५७ और ४६१ के अधीन निम्नलिखित श्रेणी के दंडित व्यक्तियों का अंगुली-छाप अभिलेख लखनऊ के 'एक अंकीय ब्यूरो' में रखा जायगा :—

(क) उक्त ग्यारह जिलों के निवासी, जो अपने निवास के जिले में दण्डित किये गये हों।

(ख) अन्य स्थानों के निवासी, जो उक्त ग्यारह जिलों में दण्डित किये गये हों।

(ग) उक्त ग्यारह जिलों के निवासी जो अन्य स्थानों पर दण्डित किये गये हों।

(घ) समस्त बाहरिया तथा भूतपूर्व अपराधी जातियों के अन्य सबस्य जो, इस राज्य के निवासी हों तथा राज्य में या राज्य के बाहर कहीं पर भी दण्डित किये गये हों।

सदनुसार उपरोक्त प्रकार के बन्धियों की अंगुली-छाप अभिलेख पर्चियों की दो अतिरिक्त प्रतियाँ (पहली एक अंकीय अभिलेख और दूसरी एक-हस्त-अभिलेख के लिये) जिलों से सम्बद्ध प्रवीणों द्वारा तैयार की जायगी और अभिलेख के लिए एक अंकीय ब्यूरो, वैज्ञानिक अनुभाग, अपराध अनुसंधान विभाग, उच्च प्रदेश, महानगर, लखनऊ को अग्रसारित की जायगी। इन दोनों अतिरिक्त अभिलेख पर्चियों में सामने की ओर शीर्ष भाग पर लाल स्पष्टी से बड़े अक्षरों में 'ए० अं० ब्यू०' (एस० डी० बी०) चिन्हित कर दिया जायगा जिससे कि वे उन अभिलेख पर्चियों से भिन्न समझी जा सकें, जो इलाहाबाद के अंगुली-छाप ब्यूरो में इस अंकीय अभिलेख के निमित्त अग्रसारित की जाती हैं।

(ब) केन्द्रीय अंगुली-छाप ब्यूरो (Central Finger Print Bureau) एक वार्षिक अभिलेख—निम्न श्रेणी के अन्तर्राज्य या अन्तर्राष्ट्रीय अपराधियों के अंगुली-छाप नुमाई, कार्य-प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणों सहित, केन्द्रीय अंगुली-छाप ब्यूरो में एक अंकीय अभिलेख के लिये रखे जायेंगे :—

- (क) मोटर वाहियों के चोर (Auto thieves);
- (ख) होटलों में चोरी करने वाले (Hotel thieves);
- (ग) विष देने वाले (Poisoners);
- (घ) जाली नोट तथा सिक्के बनाने वाले (Forgers of notes and coins);
- (ङ) ठग (cheats) ।

टिप्पणी—(१) उपर्युक्त उन पंचायतों के अन्तर्गत आने वाले मामलों में, जिनमें अंगुली-छाप अभिलेख के लिये भेजना आवश्यक समझा जाय, सरकारी अभियोजकता (Public Prosecutor) को चाहिये कि वे दैनिक रिपोर्टों में सम्बन्धित व्यक्ति के अंगुली-छाप के नीचे यह लिखें कि ऊपर के उप-बंदों के (क), (ख) तथा (ग) में से कितने अनुसार अंगुली-छाप को ब्यूरो में सुरक्षित रखने की सिफारिश करते हैं। यदि पुलिस अतीतक रिपोर्टों को भंग करे है तो उन्हें अपनी स्थिति को साक्ष्य में प्रविष्टि पर आने संक्षिप्त हस्ताक्षर बना देने चाहिये ।

टिप्पणी—(२) अंगुली-छाप का लेना तथा पंजीयन रखना (आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजन्स ऐक्ट) (१९२० की ऐक्ट संख्या ३३) से अनुमति प्राप्त होता है। इस ऐक्ट (अधिनियम) की धारा ४ और ७ के अनुसार पुलिस को यह अधिकार है कि उन व्यक्तियों के जिनको ऐसे अपराधों के लिये गिरफ्तार किया गया है तथा बंददिया गया है जिसमें एक वर्ष या अधिक का बंद दिया जा सकता है, अंगुली-छाप ल और सुरक्षित रखें। अन्य अपराधों में, जिनमें ऐसी सजा नहीं दी जा सके या उन मामलों में जिनमें अपराधी को बंद मुक्त कर दिया गया है या जिन पर मुक्तदमा नहीं चलाया गया, परन्तु यह उचित समझा जाता है कि उसकी अंगुली-छापों का रक्षायी अभिलेख रखा जाय तो ऐसे व्यक्तियों के अंगुली-छाप लेने तथा सुरक्षित रखने के लिये उपर्युक्त ऐक्ट (अधिनियम) की धारा ४ और ७ के अन्तर्गत सजा-सूट की स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिये ।

टिप्पणी—(३) न्याय पंचायतों द्वारा संश्लेषित व्यक्तियों के अंगुली-छाप अभिलेख के लिये नहीं लिये जायेंगे ।

1. The first part of the document discusses the general situation of the country and the role of the government. It mentions the need for a strong and stable government to ensure the well-being of the people and the progress of the nation. The text emphasizes the importance of unity and cooperation among all citizens and government officials.

2. The second part of the document details the specific policies and programs of the government. It outlines the government's commitment to economic development, social justice, and the improvement of living standards. The text describes various initiatives and reforms aimed at creating a more equitable and prosperous society.